

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 388 /सेक-2-पांच-17-6(80)/17
लखनऊ :: दिनांक 05 मई 2017
कार्यालय-जाप

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-28818/2016 अयोध्या धाम ट्रस्ट बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 09.12.16 को सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

".....This petition seeks the following reliefs:

"(A) Issue a writ in nature of mandamus commanding the Respondents No. 1 to 4 to post respondent no. 7 to some other place and to conclude the enquiries against him within stipulated time frame as found suitable by this Hon'ble court.

(B) Issue in nature of mandamus command Respondent No.1 and 3 to take action against private clinics and nursing homes running by the doctors of government hospitals at Faizabad against the law and norms, including the clinic run by the Respondent No. 7 namely Nidan Chikitsa Kendra."

Counsel for the State-respondents, on instructions, submits that in the inquiry against respondent no. 7, he has been held guilty and respondents have initiated further proceedings. He submits that respondents have decided to shift him from Faizabad to some other place. His statement is recorded and accepted.

In view thereof, nothing further survives in the petition. The petition is, accordingly, disposed of."

2- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के समादर में तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डा0 राधेश्याम यादव (वरि0क्र0-8125), जिला क्षय रोग अधिकारी, फैजाबाद को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 राधेश्याम यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

विद्या सागर प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या:- 308 (1)सेक-2-पांच-2017 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/आजमगढ़ मण्डल।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी, फैजाबाद।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
7. संबंधित चिकित्साधिकारी।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से
Jy
(जे0एल0 यादव)
अनुसचिव।